



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाइट : <http://bseap.bihar.gov.in>, Email: bseapatna@gmail.com

पटना / दिनांक 09/05/2022

अधिसूचना

संख्या-नि. प्रा./नि. 1-04/2022 65! चूंकि बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) में निहित प्रावधान के अनुसार बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के तहत निबंधित स्वावलंबी सहकारी समितियों के बोर्ड, जिनका निर्वाचन देय है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा बिहार महिला सेवा बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, मुंगेर के बोर्ड का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013 की धारा-7) तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार कंडिका-6 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बिहार महिला सेवा बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, मुंगेर के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 08.06.2022 (बुधवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार के पत्र संख्या- 299 दिनांक 02.03.2022 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि 28.02.2022 निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 25.03.2022 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

4. बिहार महिला सेवा बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, मुंगेर के उपविधि के अनुसार 11 निदेशकों का निर्वाचन कराया जाना है। निर्वाचित 11 निदेशकों में से उन्हीं के द्वारा अध्यक्ष एवं अन्य पदधारकों का निर्वाचन किया जाना है, परंतु निबंधक, सहयोग समितियों के पत्रांक 4992 दिनांक 01.11.2013 में निदेश है कि "बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 के द्वारा बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 की धारा 26 (2) के परंतुकों में आरक्षण हेतु विहित प्रावधानों को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि वैसी समितियों अथवा समितियों के वर्ग के छोड़कर जिन्हें समय-समय पर राज्य सरकार सामान्य एवं विशेष आदेश के द्वारा एतदर्थ अपवर्जित करें, समितियों के बोर्ड में पदधारियों सहित निदेशकों की संख्या न्यूनतम 12 किये जाने हेतु समितियों की उपविधियों में अभियान चलाकर संशोधन किया जाय।" इसी क्रम में निबंधक सहयोग समितियों के पत्रांक 4996 दिनांक 01.11.2013 में भी सूचित किया गया है कि "बोर्ड में पदधारियों सहित निदेशकों की संख्या न्यूनतम 12 (बारह) करते हुए आरक्षण प्रावधान का उपबंध करने के लिए समितियों की उपविधियों में संशोधन किया जाए।"

उक्त निदेश के आलोक में जिन समितियों में पदधारियों की संख्या 12 से कम है, उनमें पदधारियों की संख्या 12 मानते हुए निर्वाचन कराया जाना अपेक्षित है। इसके अनुसार बिहार महिला सेवा बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, मुंगेर में 12 निदेशकों का निर्वाचन कराया जाना है।

बिहार स्वावलंबी सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम 07, 2013) द्वारा बिहार अधिनियम II, 1997 की धारा 26 में किये गये संशोधन के आलोक में बोर्ड के निर्वाचन में आरक्षण के बिंदु पर निम्न निदेशों का अनुपालन किया जाना है-

(i) निबंधक, सहयोग समितियों, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।

(ii) उपर्युक्त के आलोक में प्रासंगिक समिति के कुल 12 निदेशकों के पदों में से प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे। चूंकि यह महिलाओं की समिति है। अतः महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

(iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।

5. उक्त के आलोक में बिहार महिला बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति लि०, मुंगेर में निदेशक बोर्ड के 12 सदस्यों के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है—

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई. 1 में सूचना का प्रकाशन	11.05.2022 (बुधवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	26.05.2022 (गुरुवार) एवं 27.05.2022 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	28.05.2022 (शनिवार) एवं 30.05.2022 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	01.06.2022 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	08.06.2022 (बुधवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	09.06.2022 (गुरुवार) को (मतदान के दूसरे दिन)

उक्त समिति के बोर्ड का निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् अध्यक्ष एवं अन्य पदधारकों का निर्वाचन निर्वाचित निदेशकों द्वारा अपने बीच से दिनांक 20.06.2022 (सोमवार) के पूर्व कर लिया जायेगा।

6. निर्वाचन पदाधिकारी बोर्ड के लिए विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए प्रपत्र-ई. 1 (अनुलग्नक-1) में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना दिनांक 11.05.2022 (बुधवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

7. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की प्रविष्टि नहीं की जायेगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा:—

क्र०	सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने का समय	प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने वाली सूचना
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि के तुरंत पश्चात्	ई०-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में) की सूचना को प्रविष्ट करना है।
ii.	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात्	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या को प्रविष्ट करना है।
iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा) को प्रविष्ट करना है।
iv.	निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक	सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूचना (प्रपत्र- ई० 18 से संबंधित) को प्रविष्ट करना एवं तदोपरांत डाउनलोड PDF का Black and

		White Mode में स्कैन कर निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ प्राधिकार के ई-मेल bseapatna@gmail.com पर भेजना है।
v.	मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु अद्यतनीकरण के पश्चात् की अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है) को प्राधिकार के पत्र-469 दिनांक 25.02.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन कर प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करना है।

8. प्रपत्र-ई० 1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाइट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायेगी।

9. निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-ई० 3 (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका, 01 जुलाई, 2019 तक संशोधित, में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई० 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।


10. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) को प्राधिकार के वेबसाइट पर एक सप्ताह के अंदर अपलोड किया जाना है। इससे संबंधित प्राधिकार के पत्रांक 469 दिनांक 25.02.2021 एवं पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 तथा इस पत्र के साथ संलग्न दिशा-निर्देश सभी पदाधिकारियों को पूर्व में भी संसूचित किया जा चुका है। ये पत्र प्राधिकार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

11. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02.07.2020 द्वारा 700 मतदाताओं के बजाय 450 मतदाताओं पर मतदान केन्द्र बनाने के निर्णय को संशोधित करते हुए पूर्व की भाँति 700 मतदाताओं पर एक मतदान केन्द्र रखने का निर्णय लिया गया है। मतदान के समय भीड़-भाड़ से बचने हेतु मतदान का समय भी विस्तारित करके 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक किया गया है। मतदान के समय के संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02.07.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

12. समिति के चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से को दिनांक 11.05.2022 के बाद यदि कंटेन्मेंट जोन घोषित किया जाता है या पूर्व से घोषित कंटेन्मेंट जोन की अवधि दिनांक 11.05.2022 के बाद समाप्त हो रही हो, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित समिति के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देंगे एवं इसकी घटनोत्तर स्वीकृति प्राधिकार से प्राप्त करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से या किसी अन्य कारण से भी किसी समिति के चुनाव को स्थगित करने की स्थिति बनती है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को इसकी अनुशंसा कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यदि पूर्व से घोषित मतदान केन्द्र कंटेन्मेंट जोन के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो निर्वाचन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी के अनुमोदन से मतदान केन्द्र बदल देंगे और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे।

13. कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सामाजिक दूरी बनी रहे। पंक्तिबद्ध होने की स्थिति में एक-दूसरे के बीच मानक दूरी बनाये रखा जाय तथा मतदाताओं के हाथ को हैंड सेनिटाईजर/ साबून-पानी से साफ किये जाने आदि की

व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संलग्न परिशिष्ट में अंकित व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की जायगी। हैंड सेनिटाईजेशन/ साबून-पानी से हाथ साफ कराने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी एक अतिरिक्त कर्मी की व्यवस्था करेंगे, जिसके भुगतान के लिए प्राधिकार द्वारा राशि का आवंटन किया जायेगा।


(पुरुषोत्तम पोसवान)
सचिव।

ज्ञापांक : 651 पटना/ दिनांक 09/05/2022
प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ज्ञापांक : 651 पटना/ दिनांक 09/05/2022
प्रतिलिपि : जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित समिति की उपविधियाँ दिनांक 09.05.2022 (सोमवार) तक निश्चित रूप से अनुमंडल पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स.स.), मुंगेर सदर को उपलब्ध करा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा उपविधियों के आधार पर जिन-जिन पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है, उसका विवरण भी अधिसूचना में निहित निदेशों के अनुसार आरक्षित पदों की स्थिति सहित निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध करा देंगे। साथ ही इस कार्यक्रम की सूचना अपने स्तर से भी संबंधित समिति को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

ज्ञापांक : 651 पटना/ दिनांक 09/05/2022
प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/ जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.), मुंगेर/ पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/ उप विकास आयुक्त –सह– नोडल पदाधिकारी (स0स0), मुंगेर/ अपर समाहर्ता, मुंगेर/ अनुमंडल पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.), मुंगेर सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध है कि इस चुनाव में वरीय अपर समाहर्ता/ अपर जिला दंडाधिकारी स्तर के पदाधिकारी की नियुक्ति अपने स्तर से पर्यवेक्षक (Observer) के रूप में दिनांक 21.05.2022 तक करना सुनिश्चित करेंगे। नियुक्त पर्यवेक्षक का नाम, पदनाम, उनके दूरभाष/ मोबाईल नंबर के साथ प्राधिकार को उपलब्ध करा देंगे।

3. जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.), मुंगेर से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय अनुमंडल पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स. स.), मुंगेर सदर को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

ज्ञापांक : 651 पटना/ दिनांक 09/05/2022
प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/ संयुक्त निबंधक, स0स0, मुंगेर एवं पटना प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक : 651 पटना/ दिनांक 09/05/2022
प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

ज्ञापांक : 651

पटना/ दिनांक 09/05/2022

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/
सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ श्री हरि किशुन राम, सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।


सचिव

प्रपत्र- ई-1
सूचना का प्रपत्र

जिला, प्रखंडके अन्तर्गत.....(समिति का नाम)
के अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है,
मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद् द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1	2

(ii) अध्यक्ष/ सचिव के पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं पद सम्बन्धित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे।

(iii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय..... (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में.....(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को (स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक (नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तकबजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(v) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को..... (स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न बजे के पूर्व तक (स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।

* (vii) प्रपत्र-ई 6 तथा प्रपत्र- ई 7 जारी किये जाने के पश्चात् विधिमान्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जाएगा।

(viii) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को निर्माकित मतदान केन्द्र/ केन्द्रों पर 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा:-

मतदान केन्द्र संख्या

मतदान केन्द्र का नाम

(1)

(2)

(3)

(ix) मतगणना दिनांककोबजे से (स्थान का नाम) में की जायेगी। सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र के स्थान की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी जायेगी।

स्थान -

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

*जो लागू न हों, उसे काट दें।

मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाएँ:-

1. मतदान केन्द्र को मतदान के एक दिन पूर्व सेनेटाईज किया जाएगा। बैलेट बॉक्स एवं सेनिटाईज करने योग्य अन्य सामग्रियों को भी सेनिटाईज किया जाएगा।
2. मतदान केन्द्र पर कार्यरत मतदान कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों के लिए मास्क एवं डिस्पोजेबल ग्लब्स उपलब्ध कराये जाएँगे।
3. मतदान केन्द्र परिसर में मतदाता के प्रवेश के वक्त ही उनके हाथों को साबुन-पानी से धोने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए एक प्लास्टिक की बाल्टी, मग एवं साबुन की व्यवस्था की जाएगी।
4. मतदान केन्द्र परिसर में प्रवेश के वक्त प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक मतदाता मास्क अथवा गमछा या अन्य कपड़े से मुँह-नाक ढके हों। केवल मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने हेतु इसे हटाया जा सकेगा। उस वक्त भी मतदान केन्द्र में उपस्थित सभी व्यक्तियों से मतदाता को कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा।
6. मतदान केन्द्र पर लगने वाली कतार में सामाजिक दूरी का पालन हो सके, इसके लिए कम-से-कम एक मीटर की दूरी पर गोल घेरा बनाया जाएगा, जिसमें मतदाता खड़े होंगे।
7. मतदान हेतु कमरे में प्रवेश करते वक्त प्रत्येक मतदाता के हाथों को हैंड सेनिटाईजर से सेनिटाईज किया जाएगा।
8. वोटिंग स्टीक को पकड़ने के लिए टिश्यू पेपर की व्यवस्था की जाएगी। वोटिंग करने के पश्चात् मतदाता द्वारा इस्तेमाल की गई टिश्यू पेपर को डस्टबीन में डाल दिया जाएगा। इसे अन्यत्र नहीं फेंका जाएगा।
9. मतदान के पश्चात् कमरे से बाहर निकलने वाले मतदाताओं के हाथों को हैंड सेनिटाईजर से पुनः सेनिटाईज किया जाएगा।
10. पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान कर्मी द्वारा भी मतपत्र देने में नियमानुकूल सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा।
11. मतदान कार्य समाप्ति के पश्चात् मतदान कर्मी डिस्पोसेबल ग्लब्स/ मास्क एवं प्रयुक्त टिश्यू पेपर इत्यादि का सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप डिस्पोजल कराएँगे। जिला पदाधिकारी इसके लिए सिविल सर्जन के माध्यम से व्यवस्था कराएँगे।
12. मतदान केन्द्र पर उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का भी ध्यान रखा जाएगा।